स्तर के किसान परिवार से हूं।' वह ऐसा ही संदेश देंगे ताकि चर्चा में भाषण लेने वाले उड़ीसा के सभी सदस्य सप्ताहान्त पर घर जाते समय, माननीय प्रधान मंत्री से कुछ पैकेज लेकर जाएंगे।...**(व्यवधान)** श्री जेना, आप क्या कर रहे हैं? आप एक मंत्री हैं। क्या आपके सामने भी कोई समस्या है? आप भी माननीय प्रधान मंत्री से अच्छा पैकेज ले सकते हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री को शुभ कामनाएं देता और आशा करता हूं कि वह इस मुद्दे पर अच्छा ही बोलेंगे जिससे हमें कुछ अच्छा लाभ प्राप्त होगा।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से कुछ वरिष्ठ सदस्यों, पूर्व प्रधान मंत्री और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री ने उड़ीसा में व्याप्त सूखे की स्थिति पर चर्चा में भाग लिया। सभी यही चाहते है कि सूखे की स्थिति का सामना पूरे जोर-शोर से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति नौकरी की खोज में उड़ीसा से अन्य राज्य को न जाए। यह पूर्व प्रधान मंत्री, जो कि सांसद के रूप में उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा दिए गए सुझावों में से एक सुझाव है।

महोदय, मैंने 14.11.96 को तीन जिलों का दौरा किया। मैं मुख्य मंत्री को भी अपने साथ ले गया था। वास्तव में, मैं सूखा ग्रस्त क्षेत्र का और थोड़ा पहले ही दौरा करना चाहता था। मेरे सहयोगी, श्री श्रीकान्त जेना ने मुझे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का सुझाव दिया था, परंतु उस समय मुख्यमंत्री राज्य में नहीं थे। वह कुछ कार्यवश विदेश गए हुए थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह व्यर्थ ही विदेश गए थे। विभिन्न विश्वव्यापी निवेशकर्त्ताओं से संपर्क करने का उनका पहले से ही कार्यक्रम था, और देश छोडने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके वापस आने के पश्चात मैं राज्य का दौरा करूं। इसीलिए, मैंने अपना कार्यक्रम स्थगित किया था। अन्यथा, मैंने और पहले ही राज्य का दौरा किया होता। मेरे द्वारा क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात केन्द्रीय दल वहां गया था। कृषि मंत्री ने भी मेरे जाने से पहले वहां का दौरा किया था।

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : उन्होंने बाद में राज्य का दौरा किया था।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मुझे माफ करें, उन्होंने बाद में दौरा किया था। मैंने तीन जिलों का दौरा किया। महोदय, मैं किसी पर आक्षेप लगाना नहीं चाहता। पैसा मुद्दा नहीं है। निधियों को अपर्याप्त रूप से जारी किए जाने के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और लोग रोजगार की खोज में उड़ीसा छोड़कर अन्य राज्यों को जा रहे हैं। पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों में से यह एक मुद्दा है। अतः मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उड़ीसा के पास उपलब्ध कुल संसाधन लगभग 461 करोड़ रुपये के हैं, इसे राशि 225.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। और अब तक किए गए कुल व्यय की राशि 187.67 करोड़ रुपये की है। दौरे के पश्चात् मैंने केवल ग्रामीण विकास के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी किये जाने की घोषणा की। मैं राज्य सरकार पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता, कि धनराशि का किस प्रकार उपयोग हुआ है अथवा किस प्रकार इसे दूसरे विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च किया गया है।

मैंने मुख्य मंत्री से स्पष्ट चर्चा की है। मैंने उनसे पूछा कि वे केन्द्र से कितनी राशि की सहायता चाहते हैं। बाद में उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन की प्रति भी मेरे पास है। उनकी मांग लगभग 585 करोड़ रुपये की है। मैं ब्यौरा दे रहा हूं :—

कृषि विभाग	- 26.39 करोड़ रु.
सहकारिता विभाग	- 15.95 करोड़ रु.
मात्स्यिकी विभाग	- 2.97 करोड़ रु.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	- 4.97 करोड़ रु.
आवास विभाग	लगभग - 8.77 करोड़ रु.
पंचायती राज	- 371 करोड़ रु.
ग्रामीण विकास विभाग जिसमें पेय जल और ग्रामीण निर्माण कार्य शामिल है	लगभग 51.32 करोड़ रु.
जल संसाधन विभाग जिसमें बड़ी, मझोली लघु सिंचाई और लिफ्ट संचाई शामिल है	- 87.23 करोड़ रु.
ऊर्जा विभाग	- 10 करोड़ रु.
आपात-स्थिति के दौरान पूर्ति करने सम्बन्धी कार्यक्रम	- 7.20 करोड़ रु.

कुल मिलाकर लगभग 585 करोड़ रु. हुए

महोदय, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं केवल ग्रामीण विकास के अंतर्गत ही उड़ीसा राज्य को लगभग 461 करोड़ रु. पाने का हकदार है। आठ प्रभावित जिलों में पहले तीन जिले थे और बाद में पांच नये जिले बने-जिसे के.बी.के. विशेष कार्यक्रम कहा जाता है अपने हवाई सर्वेक्षण के दौरान मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लगभग सभी तीनों जिलों में मैदानी भाग में लघु सिंचाई तालाब हैं। मैं इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों को अपना यह अनुभव बताना चाहता हूं कि लगभग सभी निचले क्षेत्रों में लघु सिंचाई तालाब हैं। हम वहां सर्वत्र हरियाली देख सकते हैं। जब हम कार में जा रहे थे तो, मैं वस्तुतः कार से उतरकर मुख्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ धान के खेत पर गया। उसी क्षेत्र में जहां कुछ नमी है, वहां कम नमी वाले क्षेत्र से अनाज की उपज अपेक्षाकृत अच्छी है। अधिकांश निचले क्षेत्रों में लघु सिंचाई तालाबों का निर्माण हो रहा था। पानी की कमी के कारण, फसलों की एक बार अथवा दो बार ही सिंचाई करने से अनाज का उत्पादन पूर्णतः संतोषजनक नहीं रहा है। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि यदि जमीन एक बार या दो बार आर्द्र हो जाय, तो धान के सभी क्षेत्रों को बचाया जा सकता है। महोदय, मैंने मुख्य मंत्री से पूछा कि क्या हम भूमि जल प्राप्त नहीं कर सकते। वहां भूमि जल है? क्या वहां इसकी संभावना है? राज्य सरकार की क्या राय है? क्या आपने कोई सर्वेक्षण कराया है? महोदय, मुख्य मंत्री ने मुझे बताया कि यदि नलकूप लगा दिये जाएं तो एक या दो जिलों को

छोड़कर वहां पर्याप्त भूमि जल हैं और हम वर्षा की कमी अथवा सूखे के समय अथवा जो भी स्थिति उत्पन्न होती है उस भूमि जल का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम बड़े पैमाने पर नलकूप लगायें, तो मैं समझता हूं कि हम इसे विभिन्न अनुत्पादक कार्यों में खर्च न कर काफी पैसे की बचत कर सकते हैं। आज भी यदि कोई वहां हवाई सर्वेक्षण पर जाय, तो वह पायेगा कि वहां फसल अच्छी है। परन्तु जब वह वहां खेतों में जाएगा तो वह पायेगा कि वहां वह बात नहीं है।

एक या दो बार की सिंचाई के बिना फसलें नहीं उगायी जा सकीं। यह वास्तविक स्थिति है जो मैंने वहां देखी है। मैंने मुख्य मंत्री को बताया, "आप एक ऐसा विशेषज्ञ नियुक्त करें जो एक विख्यात भूविज्ञानी हो, और वह सर्वेक्षण करे। केन्द्र सरकार नलकूपों के लिये कोई भी धनराशि प्रदान करने के लिये तैयार है क्योंकि वहां आठ जिलों में जहां पहले तीन जिले थे, सूखे की स्थिति हर वर्ष उत्पन्न हो जाती है। मैं सोचता हूं कि जब श्री चन्द्रशेखर प्रधान मंत्री थे तो वे भी वहां गये थे। उस समय भी वहां अनेक मौतें होने की खबर थी। वहां अनेक प्रकार की रिपोर्टें थीं और स्थिति गंभीर थी।

कालाहांडी मामले पर भी संसद में चर्चा हुई थी।

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राहत उपायों पर तो हम कोई भी धनराशि व्यय कर सकते हैं, परन्तु मेरा कहना यह है कि यह केवल अस्थायी उपाय है। उसके बदले, यदि हम कुछ स्थायी उपाय करें तो हम निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों की इस प्रकार की दुर्दशा दूर कर सकते हैं। मैं कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता क्योंकि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री यहां अभी आए हैं।

मुख्य मंत्री मेरे साथ उपस्थित थे। मैंने स्वयं एक-दो वृद्ध महिलाओं से पूछा कि क्या उन्हें कोई वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। चूंकि मैं उड़िया भाषा नहीं जानता, इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा कि वृद्धा जो बात कह रही है, वह मुझे अनुवाद कर के बताए। वृद्धा ने कहा कि उसे कोई वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती। मैंने जिला कलक्टर से पूछा कि आप इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। उन्होंने सरपंच को बुलाया परन्तु, सरपंच नहीं मिला। मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि हमारे एक माननीय सदस्य, जो यहां बैठे हुए हैं, भी वहां मौजूद थे। वहां सरपंच उपलब्ध नहीं था और जिला कलेक्टर भी सही उत्तर देने में थोड़ा झिझक रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वहां जो हुआ वह तो हुआ ही, अब वृद्धावस्था पेंशन अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न अथवा ऐसा जो भी लाभ पहुचाया जाना है, उसके लिये उन्हें, निर्धनतम व्यक्ति का चयन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिये। मैंने उन्हें यह निर्देश दिया। उन्होंने मुझे बताया कि उड़ीसा हेतु निर्धारित कोटे अधिकतम सीमा कुछ भी हो के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन देने हेतु सरकार, 48,000 लोगों को चुना गया है, और यदि इस संख्या में रियायत दी जाती है, तो वह शेष कुछ और लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। मेरे समक्ष उन्होंने यह तथ्य प्रस्तुत किया। मैंने इसमें रियायत देने और उड़ीसा के सात-आठ जिलों के और पांच हजार लोगों तक यह लाभ पहुंचाये जाने का निर्णय लिया। अतः उन वृद्ध व्यक्तियों जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, की पहचान की जाय और उन्हें यह सुविधा दी जाय। उन लोगों को यही निर्देश दिया गया था। उस दिन, मुख्य मंत्री की उपस्थिति में मैंने घोषणा की कि हम लगभग 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने जा रहे हैं।

मैं इस सम्माननीय सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध धन का ही उल्लेख करूंगा। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत, 162.67 करोड़ रुपये, इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 58.20 करोड़ रुपये, एम.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत 16.02 करोड़ रुपये, रोजगार सहायता योजना के अंतर्गत 111.45 करोड़ रुपये, समेकित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 30.21 करोड़ रुपये डी.डब्ल्यू.सी.आर. के अंतर्गत 1.28 करोड़ रुपये और टूल किट्स के अंतर्गत 1.17 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। जब पैसा उपलब्ध है और यदि लोग काम की खोज में बाहर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि यह पैसा अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकार की कोई समस्या हो सकती है, परन्तु उसने इसकी कोई साफ तस्वीर प्रस्तुत नहीं की हैं।

पैसा अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिये खर्च किया गया होगा। खैर, मैं अब वह बहाना नहीं सुनना चाहता और यह नहीं चाहता कि लोग कष्ट झेलें। भारत सरकार किसी भी कार्य हेतु धनराशि जारी करने के लिए तैयार है। मैं उड़ीसा से आये हुए माननीय सदस्यों को इतना आश्वासन अवश्य दूंगा। उन गांवों को रोजगार और आवश्यक पेय जल प्रदान करने के लिये मैं कोई भी धनराशि देने के लिये तैयार हूं। वे कह रहे हैं कि लगभग 26,000 गांव सूखा-पीड़ित हैं। यह राज्य सरकार की रिपोर्ट है। मैं पेय जल, पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिये धन देने के लिये तैयार हूं और वह राशि चाहे यह अनुदान हो-अथवा भविष्य में योजना आबंटन में से समंजित की जाने वाली हो, इस समय यह बहस का मुद्दा नहीं है। आइये, जैसा कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहा है, हम इस कार्य को युद्ध स्तर पर करें। जी हां, हम तैयार हैं। इसमें केन्द्र का और राज्यों का कितना-कितना हिस्सा है? इन सब बातों पर बाद में चर्चा हो सकती है। मैं एक स्पष्ट आश्वासन देने जा रहा हूं कि हम आवश्यक धन प्रदान करने के लिए तैयार हैं। किसी भी व्यक्ति को रोजगार की तलाश में अपने राज्यों से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राज्य को रोजगार के अवसरों की जितनी चाहे जितनी भी आवश्यकता हो, वे कार्य आरम्भ करें और हम आवश्यक धन प्रदान करने के लिये तैयार हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता था।

आपदा राहत कोष के रूप में मैंने लगभग 37 करोड़ रुपये जारी किये हैं। पहले, ग्रामीण विकास के अंतर्गत कितना धन उपलब्ध कराया गया था, कितना धन जारी किया गया था और कितना धन खर्च नहीं किया गया था, वह भिन्न मामला जिसका उल्लेख मैंने इस सम्माननीय सभा में कर दिया है।

सिंचाई के लिये इस साल 800 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। उसमें से हमने 46.03 करोड़ रुपये की राशि उड़ीसा को जारी की है। मुख्य मंत्री ने अपने ज्ञापन में लगभग 87.23 करोड़ रुपये की मांग की

है। उड़ीसा के लिये यह राशि लगभग 46.5 करोड़ रुपये है। वह किन्हीं लघु सिंचाई कार्यों अथवा जो भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के लिये इस धन का पूरी तरह उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। वह एक अलग राशि है। यह राशि आपदा राहत कोष के अन्तर्गत नहीं आती है। यह धन आम बजट से आबंटित हुआ है। हमने बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिये 800 करोड़ रुपये और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उनमें से हमने 46.5 करोड़ रुपये उड़ीसा राज्य के हिस्से के रूप में जारी किये हैं।

दूसरी बात बुनियादी न्यूनतम सेवा है और यह भी आपदा राहत कोष के अन्तर्गत नहीं आती। हमने 2,480 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उसमें से उड़ीसा को 79.26 करोड़ रुपये मिलेंगे। हम समूची धनराशि जारी करने के लिए तैयार हैं। वे खर्च करें। बुनियादी न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत पेय जल, ग्रामीण सड़कों और अन्य सभी सम्बन्धित कार्यों के लिये हम इसके कोटा और हिस्से के रूप में 2,480 करोड़ रुपये जारी करने के लिए तैयार हैं। उड़ीसा को 79 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। और वह भी पूरी राशि जारी करने के लिये हम तैयार हैं। इस राशि का उपयोग काम और रोजगार ढूंढने वाले व्यक्तियों के लिये आवश्यक रोजगार सृजन करने के प्रयोजन से किया जाय। परन्तु किसी पड़ोसी राज्य में जाकर प्रवास करने की आवश्यकता नहीं है।

हमने निर्धारित खाद्यान्न कोटे को 45.000 एम.टी. से बढ़ाकर अब 75,000 एम.टी. कर दिया है। अतः इस समस्या से निबटने के लिये धन की कमी का प्रश्न नहीं उठेगा। मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि यह राशि 600 करोड़ रुपये अथवा 500 करोड़ रुपये है अथवा यह 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की अनुदान राशि है। हमें इस मामले पर तथा इसके साथ-साथ सूखे और बाढ़ से होने वाले नुकसान से निबटने हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों और मानदंडों पर विचार-विमर्श करना चाहिए और इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि केन्द्र और राज्यों के बीच धन का किस प्रकार बंटवारा किया जाय।

यहां ये सभी दिशा-निर्देश हैं। परन्तु मैं सिर्फ उड़ीसा के लिये यह आश्वासन नहीं दे सकता कि जो धन दिया जा रहा है वह पूरी तरह अनुदान के रूप में है। यह बात मैं अभी नहीं कह सकता। सिंचाई शीर्ष के अंतर्गत जारी 92.10 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान है। बुनियादी न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत, 79.26 करोड़ रुपये की राशि पूर्णतः अनुदान है। आपदा राहत कोष के अंतर्गत जारी की गयी 37 करोड़ रुपये की राशि पूर्णतः अनुदान है। अतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रामीण विकास के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त 100 अथवा 180 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंचाई, बुनियादी न्यूनतम सेवा और आपदा राहत कोष के अंतर्गत दी गयी धनराशि अभी उपलब्ध है। राज्य सरकार को लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुसीबतों को झेल रही ग्रामीण जनता को पेय जल अथवा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

इसके अतिरिक्त, *लगभग उन सभी ब्लॉकों को लिया गया है* जिनमें रोजगार आश्वासन योजनाएं नहीं प्रत्येक ब्लाक के लिये हम रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपये जारी करने जा रहे हैं। उन जिलों के लिये पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गयी है। उन्होंने 8 जिलों के अतिरिक्त 26 जिलों के बारे में यह बात कही है। 30 में से 26 जिलों में इस बार कम वर्षा हुई है। मुख्य मंत्री ने मुझे यही बताया। रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किये गये लगभग सभी ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है और जी. ओ. जारी किया गया है। हमने रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत प्रति ब्लॉक 20 लाख रुपये की राशि जारी करने का निर्देश भी दिया है।

श्री पिनाकी मिश्र : क्या माननीय प्रधान मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि इसमें "लगभग सभी ब्लॉक" शामिल है अथवा "सभी ब्लॉक" शामिल हैं। कुल 314 ब्लॉक हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : शेष सभी ब्लॉक हैं। इसका मैं आपको विवरण दूंगा। दरअसल मैं हर बात को पढ़ना नहीं चाहता। बोलंगीर और सोनपुर जिलों के उन सभी आठों प्रखण्डों में रोजगार आश्वासन योजना लागू की जानी चाहिए जिन्हें अभी तक इस योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। काम आरम्भ करने के लिये प्रति प्रखण्ड 20 लाख रुपये की राशि जारी की जायेगी। वर्ष के दौरान 30 से पहले पूरे उड़ीसा भर में 40 और अधिक प्रखण्ड शामिल किये जायेंगे और इस प्रकार यह योग 290 प्रखण्ड हो जाएगा। शेष प्रखण्ड को, यदि कोई हो, जिसे अकाल पीड़ित जिलों में शामिल नहीं किया गया है। हम इसके अन्तर्गत शामिल करना चाहते है। हम वर्ष 1997-98 तक पूरे देश में लगभग सभी प्रखण्डों को शामिल करना चाहते हैं और जो प्रखण्ड उक्त प्रभावित जिलों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इसी वर्ष शामिल कर लिया जायेगा।

श्री पिनाकी मिश्र : महोदय, मैं केवल एक मिनट और समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आबंटित समय को भी इसी मुद्दे के अन्तर्गत लिए जा रहे हैं।

श्री पिनाकी मिश्र : यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय कृषि मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार का 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' मूल रूप से रोजगार आश्वासन योजना पर आधारित होने जा रहा है। केवल 24 प्रखण्ड शेष रहते हैं। कल मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया था कि वे प्रधान मंत्री से अनुरोध करें कि चूंकि केवल 24 प्रखण्ड शेष रहते हैं, इसलिये इन शेष सभी 24 प्रखण्डों को 26 सूखाग्रस्त जिलों में शामिल किया जाय। माननीय प्रधान मंत्री आज सभापटल पर यह वचन क्यों नहीं देते कि इन 24 प्रखण्डों को भी रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जायेगा। यदि वे ऐसा आज ही कर दें तो हमारे लिये और बेहतर होगा।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैंने मुख्य मंत्री को यही सुझाव दिया था कि उन प्रभावित जिलों के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रखण्डों को इसमें शामिल कर लिया जाए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सुझाव

दिया है और यदि 24 प्रखण्ड शेष रहते हैं, तो मैं इस पर विचार करने के लिये तैयार हूं और मैं यह प्रयास करूंगा कि इन प्रखण्डों को भी इसमें शामिल कर लिया जाय...(व्यवधान)

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक पंक्ति का प्रश्न पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें पहले ही देर हो गई है। यदि आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय स्थगित नहीं करेंगे तो यह संभव नहीं होगा। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं दो-तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। लोअर इन्द्रि। इरिगेशन प्रोजेक्ट और लोअर सुकटेल प्रोजेक्ट ऐसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, जहां कुछ समस्याएं हैं। कुछ लोग परियोजना आरम्भ करना चाहते हैं जबकि कुछ अन्य लोग भूमि आप्लावन के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने मुख्य मंत्री से इन दो परियोजनाओं को पेश करने को कहा और हम इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने जा रहे हैं।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : मुख्य मंत्री ने यह परियोजना पहले ही पेश कर चुके है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : हम राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं। वस्तुतः परसों ही मैंने मंत्रिमंडल सचिव को कहा कि वे मुख्य मंत्री से सम्पर्क कर उनसे उन दो परियोजनाओं को पेश करने के लिये कहें। मैं आपको यह बता दूं कि किसी जानकारी को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। वे अब सभी आवश्यक आंकड़े तैयार कर रहे हैं। मैं आपको यह आश्वासन दे चुका हूं कि ये दोनों परियोजनाएं नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल होने जा रही हैं जिन्हें आगामी दो या तीन माह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि और यहां भी मैं सभा पटल पर एक वचन देने जा रहा हूं। इससे एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा और यह स्वाभाविक है कि कुछ क्षेत्र जल आप्लावित होंगे। हमें उन विस्थापित लोगों को बसाना है। इनके पुनर्वास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा रहा है। वह बिलकुल अलग मामला है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्थायी समाधान के बारे में सुझाव दिया है। मैंने यह निर्णय इसलिये लिया है क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां हम राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार इन दो परियोजनाओं को आरम्भ कर स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने अन्य बातों का भी सुझाव दिया हैं। एक मझोली जोंक सिंचाई परियोजना हैं जिससे लगभग दस हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है, बनायी गयी है। यह परियोजना पूरी की जाय। इस पर काम चल रहा है। यह अधूरी परियोजना है। हम इसके लिए लगातार पैसा दे रहे हैं।

श्री जगमोहन : कल मैंने पूर्व प्रधानमंत्री तथा आज अपराह्न स्वयं आपको सुना। यहां ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि यहां पर्याप्त धन है और इसके उपयोग के लिए अनेक योजनाएं हैं। वहां कोई कमजोर है तो वह प्रशासनिक तंत्र है जो वस्तुतः इन योजनाओं को कार्यान्वित कर सकता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार की ऐसी आपात स्थिति में क्या मदद कर सकती है ताकि वहां एक ऐसा कारगर तंत्र कायम किया जा सके जो वास्तव में इन योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर करे? क्या आप कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे कि ऐसे इस प्रकार के काम के लिए विशेष तौर पर उन लोगों-जिन्होंने महाराष्ट्र में पड़े अकाल के समय कार्य किया है और उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है, उन्हें इस प्रकार का अनुभव हो सकता है - कुछ विशेष आयुक्त हों, ताकि इन कार्यों के कार्यान्वयन की गति तेज हो सके।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

श्री जगमोहन : यह एक प्रकार का सुझाव है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम सेवक की नियुक्ति हेतु राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूं। इसमें रिक्तियां हैं। मैं इस बात के हर पहलू के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि डाक्टरों के कितने पद नहीं भरे गए हैं। मैं इन सभी विषयों पर कोई मुद्दा नहीं बनाऊंगा। ये सभी ऐसे मामले हैं, जिन पर कि राज्य सरकार को ध्यान देना है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय प्रधानमंत्री जी, वहां पर 180 मौतें हो गयी हैं और राज्य सरकार कह रही है कि डायरिया से हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लोगों के कल्याण के लिये क्या स्कीम बनायी गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का नौ मिनट का समय पहले ही ले लिया है। रावत जी, मैं, इसकी अनुमति नहीं दूंगा। प्रधान मंत्री, कृपया क्या अब अपनी बात समाप्त कर सकते हैं?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : वास्तव में, हरेक मुख्य मंत्री यही मांग करता रहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को और अधिक शक्तियां दी जायें। हमारी सभी मुख्य मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में, इस संबंध में सिफारिशें देने हेतु एक उप-समिति गठित की जा चुकी है। कल, हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने भी राज्यों को प्रशासन के संबंध में पूरी छूट लिए जाने के बारे में उल्लेख किया था, ताकि वे अपने-आप व्यवस्था कर सकें। आप भी यही कह रहे थे। मैं नहीं समझता कि इसमें धन संबंधी कोई मुद्दा है।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : ऐसा कोई मुद्दा नहीं है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : इस संबंध में, मैं एक बात का उल्लेख करूंगा। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने निःशुल्क पोषण केन्द्र नामक योजना शुरू करने हेतु 8.10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी। हम अपने क्षेत्र में इन्हें उन जिलों में पीड़ित

जनता के लिए पोषण के लिए **गंजी केन्द्र** कहते हैं। उन्होंने दिसम्बर, 1994 में इस प्रयोजन हेतु 8.10 करोड़ रुपए जारी किए थे तथा इस योजना के अतंर्गत मुश्किल से 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है। उन्होंने यह धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष से जारी की थी। इस संबंध में बहुत-सी बातों का वर्णन कर सकता हूं। मैं इन सभी बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं नहीं समझता कि इन सभी बातों का वर्णन करने के लिए आपके पास कोई समय हो।

श्री पी.वी. नरसिम्हा राव (बरहामपुर) : महोदय, इसमें दो बातें शामिल हैं। संक्षेप में, एक तो सूखे की स्थिति, जिस पर राज्य सरकार ने इस वर्ष काबू पाया है और दूसरी बात यह कि इस क्षेत्र विशेष-जिसमें आठ जिले हैं (अब इसमें तीन जिले हैं, मूल रूप से जिसे के.बी.के. कहा जाता है)- के लिए प्रधान मंत्री की स्थायी वचनबद्धता। अब यह कार्य समाप्त नहीं होगा अथवा राज्य सरकार अकेले ही इस कार्य को कारगर ढंग से पूरा नहीं कर पाएगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर सहायता देनी होगी और स्वंय प्रधान मंत्री को ध्यान देना होगा। कल मैंने यही मुद्दा उठाने की कोशिश की थी।

यदि वह मुझे के.बी.के. जो देश में अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र हुआ करता था - के बारे में ऐसा वचन देने की कृपा करें, तो मैं समझता हूं कि मेरा अनुरोध मान लिया जाएगा।

श्री बीजू पटनायक : श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। उन्होंने के.बी.के. के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था...**(व्यवधान) मुझे अत्यंत खेद है** ...**(व्यवधान)**... चाहे 10 अथवा 20 वर्ष लग जाएं, लेकिन इसे योजना के अंतर्गत आना ही चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : उन्होनें ऐसा जनता के लिए किया है, न कि अपने लिए...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पटनायक जी, इतना ही काफी है।

श्री बीजू पटनायक : आप जो भी धनराशि देते हैं, उसकी निगरानी अवश्य की जानी चाहिए। मुझे यह मत बताइये कि आप राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आधा पैसा उनकी जेबों में जाएगा ...**(व्यवधान)** राजीव गांधी ने भी कहा था कि इस धनराशि का 80 प्रतिशत भाग दलालों की जेबों में जाता है ...**(व्यवधान)**

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : यह केवल आठ जिलों का ही सवाल नहीं है। प्रश्न उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का है जो इस सूखे से प्रभावित हैं। ऐसा उड़ीसा की वजह से नहीं है। मैं इस विषय पर स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। किसी को भी मेरे बारे में यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मेरा ऐसा करने के पीछे कोई उद्देश्य है। इस वर्ष पहली बार सिंचाई के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि देने का उद्देश्य पिछले कई वर्षों से लम्बित कुछ परियोजनाओं की ओर ध्यान देना है। इन लम्बित परियोजनाओं को किसी की चिन्ता नहीं है।

हमने केन्द्र सरकार के बजट में 800 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान करने का निर्णय पहली बार लिया है। मेरी मंशा सिंचाई के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने की है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और ऐसे क्षेत्र प्रत्येक राज्य में हैं।

मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी को यह आश्वासन देता हूं कि इस वर्ष दी गई 92.10 करोड़ रुपए की राशि में वृद्धि की जाएगी। यह अनुदान शतप्रतिशत भारत सरकार की ओर से है। इस संबंध में राज्य सरकार की वचनबद्धता का कोई प्रश्न नहीं है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस समस्या का सामना करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की जाए।

इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री को यह कहा है कि भूमिगत जल का आकलन करने का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक विशेषज्ञता प्राप्त भूवैज्ञानिक को लगाया जाए और इन इन सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराया जाए। यदि जहां कहीं भूमिगत जल उपलब्ध भी है वहां बड़े पैमाने पर नलकूप लगाये जाते हैं, तो इससे निश्चित रूप उन लोगों की समस्या हल हो जाएगी जो अपर्याप्त वर्षा के कारण परेशान हैं। यह क्षेत्र अधिक वर्षा वालां है अथवा कम वर्षा वाला है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, भारत सरकार इस क्षेत्र के लिए कोई स्थायी समाधान खोजने को तैयार है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा तैयार की जा रही के.बी.के. योजना के संबंध में, मुझे यह चिन्ता नहीं है कि इसके लिए कितनी धनराशि जारी की जाती है। मैं इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा। हम चाहते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कुछ स्थायी राहत दी जाये। हमने इस संबंध में निर्णय लिया है। आपने कल यह कहा है कि कावेरी नदी में पानी नहीं है; और गंगा ब्रहमपुत्र में काफी पानी है।

हम फालतू पानी वाले बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन को पानी दे सकते हैं अथवा नहीं, इस बात की जांच करने के लिए मैंने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। मैंने इस समिति को सभी ऐसे दिशानिर्देश दिए हैं कि उसे किन-किन क्षेत्रों में जांच करनी है।

श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा (रोहतक) : डा. के.एल. राव ने इस संबंध में काफी कार्य किया है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : उन्होंने यह कार्य केवल प्रायद्वीपीय नदी घाटी योजना पर किया है। मैंने भूतपूर्व जल संसाधन मंत्री श्री शुक्ल जी से एक प्रश्न पूछा था। इस संबंध में मैं संबंधित विभाग से पहले से ही सम्पर्क बनाए हुए हूं क्योंकि मैं भी सिंचाई के बारे में उतना ही चिन्तित हूं। मुझे किसानों और सिंचाई के लिए दिया गया अपना वचन याद है। मैं इस सम्बंध में विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैंने इसकी व्यवहारियता का पता लगाने के लिए पहले ही एक समिति गठित कर दी है। यह परियोजना आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य होनी चाहिए। फालतू पानी वाले बेसिन का पानी की कमी वाले बेसिन में सवोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसकी जांच की जाएगी। जैसे ही इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होगा, इसे कार्यान्वित करने से पूर्व, अंतिम आवंटन करने के लिए मैं सभा को इसकी जानकारी दूंगा ...**(व्यवधान)**

श्री जी.वी.के. राव ने खराब स्वास्थ्य के कारण मना कर दिया है। श्री हनुमनतय्या इस समिति के सभापति बनाए गए हैं। इसके लिए हमें धनराशि भी जुटानी है। यदि हम सभी एकत्रित होकर सामूहिक रूप से कार्य करें तो धनराशि जुटाई जा सकती है। मैं तो यही कह सकता हूं। व्यापक नलकूप कार्यक्रम हेतु हम इस योजना को केन्द्र से ही धनराशि प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस चर्चा हेतु आबंटित समय में वृद्धि के लिए सभा की सहमति लेनी पड़ेगी। हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आबंटित समय से भी 16 मिनट का समय ले चुके हैं। क्या सभा इस चर्चा हेतु समय बढाने के लिए सहमत है?

श्री पिनाकी मिश्र : यह एक राष्ट्रीय आपदा है। हम इस विषय के लिए केवल दस मिनट का समय और चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है। मैं तो केवल सभा की राय ले रहा हूं। मैं इसे रोकने नहीं जा रहा।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : कृपया, आप इसे दस मिनट तक बढ़ा दें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : दस मिनट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उड़ीसा के सभी प्रतिनिधि सदस्यों से केवल यह कहता हूं कि वे इसे अपने मन में रखें। इसमें राजनीति को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कांग्रेस शासित राज्य है। यहां ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने मजाकिया तौर पर इसका जिक्र किया है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैंने कहा था कि आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए जो हमें संतुष्ट कर सके।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : इस समस्या से निपटने के लिए जितनी धनराशि चाहिए, हम भारत सरकार से देने के लिए तैयार हैं। यह शत प्रतिशत अनुदान है अथवा इसे योजना में समायोजित किया जाएगा, ये सभी बातें अब संगत नहीं है। हमें इन आठ जिलों में इस समस्या से गंभीरता से निपटना चाहिए। उसके लिए आवश्यक धनराशि जारी की जाएगी। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं। यदि आप चाहें तो मैं अलग से एक बैठक बुलाने और इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री पिनाकी मिश्र : ये आठ जिले नहीं है, 26 जिले हैं। केवल कालाहांडी, कोरापुट और बोलंगीर को प्रचार मिलने के कारण ही ये जिले प्रकाश में आए हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मुख्य मंत्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 में से 26 जिले प्रभावित हुए हैं। इन 26 जिलों में कुल 2600 गांव प्रभावित हुए हैं। उनकी रिपोर्ट में यह बताया गया है। इस रिपोर्ट में समस्त ब्यौरा दिया गया है। मैंने भी आवश्यक धनराशि का उल्लेख किया है। धनराशि कोई मुद्दा नहीं है। हम यह धन देने जा रहे हैं। राज्य सरकार को गंभीरतापूर्वक कार्य शुरू करना है।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : हम हर बार अपने ही नियमों को तोड़ रहे है।

श्री शरत पटनायक : हमें, 160 खंडों में 2 रुपये प्रति किलो की दर से चावल मिल रहा है। लेकिन 64 खंडों में अभी भी चावल 2 रुपये प्रति किलो की दर से नहीं मिल रहा है। मेरे जिले बोलंगीर में हमें कृषि कार्य के लिए केवल छः प्रतिशत मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका जिला सूखा ग्रस्त क्षेत्र में आता है। हम सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज पूरे राज्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।

श्री शरत पटनायक : यह सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। आपने इसमें इन 64 खंडों को शामिल नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया राज्य के सम्पूर्ण मुद्दे को इसमें मत लाइए। हम सूखे सम्बन्धी विशेष मुद्दे पर बात कर रहे हैं।

आप पूरे उड़ीसा के बारे में नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.50 बजे

अध्यक्ष महोदय अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेगी।

श्रीमती शीला गौतम।

अपराह्न 3.50 1/4 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 27 नवम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 27 नवम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।